

प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

सामान्य

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) में सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। सा.क्षे.उ. लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, हरियाणा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो सांविधिक निगमों¹ और 30 सरकारी कंपनियों (चार² निष्क्रिय³ सरकारी कंपनियां) सहित कुल 32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। एक सा.क्षे.उ.⁴ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध था। वर्ष के दौरान एक सा.क्षे.उ.⁵ को भंग कर दिया गया था।

2. 30 सितंबर 2018 को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन इस रिपोर्ट में शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति और खातों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 1: रिपोर्ट में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति

सा.क्षे.उ. की प्रकृति	कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे 30 सितंबर 2018 तक बकाया (बकाया कुल लेखे) हैं
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कंपनियां	26	7	9	7	23	19 (36)
सांविधिक निगम	2	0	2	0	2	2 (2)
कुल कार्यरत सा.क्षे.उ.	28	7	11	7	25	21 (38)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	4	0	2	0	2	2 (2)
कुल	32	7	13	7	27	23 (40)

30 सितंबर 2018 को कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 38,935.22 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ 6,08,470.73 करोड़) के 6.40 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम अंतिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 921.58 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मार्च 2018 को इनके पास लगभग 26,410 कर्मचारी थे।

¹ हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम।

² हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम तथा हरियाणा खनिज लिमिटेड।

³ निष्क्रिय सा.क्षे.उ. वे हैं जिन्होंने अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।

⁴ हरियाणा वित्तीय निगम।

⁵ यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में कुल ₹ 22.65 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹ 17.98 करोड़ की पूंजी तथा ₹ 4.67 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण शामिल है। दो सा.क्षे.उ.⁶ की परिसमापन प्रक्रिया 14 से 19 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

उत्तरदायित्व की रूपरेखा

3. सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रियाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 में निर्धारित की गई हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल होती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर सरकारी कंपनी या सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, पहले लेखापरीक्षक को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना है और यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी के सदस्यों को इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति करनी होती है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत आवृत्त किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकते हैं और ऐसी परीक्षण लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तथा केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या उससे पहले शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित होना जारी रहेगा।

सांविधिक लेखापरीक्षा

4. सरकारी कंपनियों (अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) अथवा (7) के प्रावधानों

⁶ हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित अन्य बातों के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। हरियाणा राज्य भण्डारण निगम तथा हरियाणा वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की जाती है तथा पूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता

5. अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों की वार्षिक रिपोर्ट, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है और तैयार होने के बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा उन पर किन्हीं टिप्पणियों या पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सदन या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह यंत्रावली राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है। अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के मध्य 15 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

इसके अलावा, अधिनियम, 2013 की धारा 129 में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी को उक्त ए.जी.एम. में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार और विधानमंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन और उपयोग पर भी नज़र रखता है। इसके लिए, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में निर्धारितानुसार राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य

विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में निवेश

7. हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में उच्च वित्तीय हिस्सा है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

i) **शेयर पूंजी और ऋण** - शेयर पूंजी योगदान के अलावा, हरियाणा सरकार समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

ii) **विशेष वित्तीय सहायता** - हरियाणा सरकार जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अनुदान और परिदान के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।

iii) **गारंटी** - हरियाणा सरकार वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त ऋण के ब्याज सहित पुनर्भुगतान की गारंटी भी देती है।

8. 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

सेक्टर का नाम	सरकारी कंपनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ⁷ (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	निष्क्रिय	कार्यरत	निष्क्रिय		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
विद्युत	5	0	0	0	5	16,001.00	6,331.83	22,332.83
वित्त	3	1	1	0	5	286.53	0.00	286.53
सेवा	10	0	0	0	10	53.13	0.00	53.13
मूलभूत संरचना	4	1	0	0	5	202.87	0.00	202.87
अन्य	4	2	1	0	7	20.67	2.37	23.04
कुल	26	4	2	0	32	16,564.20	6,334.20	22,898.40

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।


पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र पर था। विद्युत क्षेत्र को कुल ₹ 22,898.40 करोड़ के निवेश में से ₹ 22,332.83 करोड़ (97.53 प्रतिशत) का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ।

⁷ निवेशों में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

तथापि, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल निवेश नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया गया है:

चार्ट 1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)



विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रतिवेदन के भाग-I⁸ में पांच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. और इस प्रतिवेदन के भाग-II⁹ में 27 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁸ भाग-I में अध्याय-1 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली), अध्याय-2 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) तथा अध्याय-3 (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) शामिल हैं।

⁹ भाग-II में अध्याय-4 (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली) तथा अध्याय-5 (विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन) शामिल हैं।